न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 52/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. रामूराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी सुन्दारिया पोस्ट मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। —प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर। —अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्ग धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति—

1. **श्री रामेश्वर प्रसाद बाज्या वकील प्रार्थी ओर सें।**

निर्णय — दिनांक — 16.12.2019

4. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 941 ता 946, 989 ता 996, 996/1173, 997 ता 1000 किता 19 कुल रकबा 24.01 हैक्टेयर वाके ग्राम सुन्दारिया पटवार हल्का मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादी का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में 1/15 दर्ज है। उक्त भूमियों में वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके बाद पिता का विरासत का नामांतकरण भरते समय रामूराम पुत्र बेगाराम के स्थान पर रामदयाल पुत्र बेगाराम दर्ज कर दिया गया जो संहवन सें किया गया है। वादी के कागजात यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, पैनकार्ड, आदि मे रामूराम पुत्र बेगाराम दर्ज है जो विरासत का नामांतरण भरते समय रामूराम की जगह गलती से रामदयाल कर दिया गया है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामदयाल पुत्र बेगाराम के स्थान पर रामूराम पुत्र बेगाराम दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है।
5. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। आवेदन पर वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई।
6. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया अंकित किया गया कि रामूराम व रामदयाल दोनों एक ही व्यक्ति है तथा तथा प्रार्थी का नाम रामदयाल के स्थान पर रामदयाल उर्फ रामूराम पुत्र बेगाराम किया जाना उचित है। पार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों,

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

सरपंच ग्राम पंचायत मोटलावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 941 ता 946, 989 ता 996, 996/1173, 997 ता 1000 किता 19 कुल रकबा 24.01 हैक्टेयर वाके ग्राम सुन्दारिया पटवार हल्का मोटलवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार प्रार्थी का नाम रामदयाल पुत्र बेगाराम के स्थान पर रामदयाल उर्फ रामूराम पुत्र बेगाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner